सूचना

यह हमारे दिनांक 28 अगस्त, 2024 के पूर्व पत्राचार के क्रम में है जिसमें हमने पहली मंजिल, कॉम्प्लेक्स के सामने, महू नीमच रोड, पीथमपुर - 454 775, मध्य प्रदेश स्थित अपने कार्यालय के बंद होने के बारे में सूचना दी थी. कुछ परिस्थितियों के कारण, उक्त कार्यालय के बंद रहने की अवधि को वर्णित समय से आगे विस्तारित किया गया है और इसलिए हम आपको कार्यालय के बंद रहने के विस्तारित समय के बारे में सूचित कर रहे हैं. इसलिए, हम अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों, मध्यस्थों और जनसामान्य को सूचित करना चाहते हैं कि पहली मंजिल, कॉम्प्लेक्स के सामने, महू नीमच रोड, पीथमपुर - 454 775, मध्य प्रदेश में स्थित हमारी शाखा 2 से 3 महीने के अंदर बंद हो जाएगी. आपसे इस पर ध्यान देने और नवीनीकरण और दावा संबंधी सहायता सहित अपनी पॉलिसी के लिए उपलब्ध सेवाएं हासिल करने हेतु जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे निकटतम कार्यालय दूसरी मंजिल, कमर्स हाउस, 201/212, बिल्डिंग नं. 7, रेस कोर्स रोड, इंदौर - 430 008, मध्य प्रदेश में स्थित पर विजिट करने या निकटतम कार्यालय के लिए हमारी वेबसाइट www.icicilombard.com पर विजिट करने या IL take care ऐप डाउनलोड करने का निवेदन किया जाता है.

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए

सभी संबंधितों से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ICICI Lombard GENERAL INSURANCE

[illegible] www.icicilombard.com [illegible]

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

ONLINE E – AUCTION SALE OF ASSET

पंजीकृत कार्या: 27—बीकेसी, सी—27, जी—ब्लॉक, बांद्रा—कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई—400051 शाखा कार्यालय : कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड 8वीं मंजिल मेट्रो टॉवर ए.बी. रोड विजय नगर इंदौर (म.प्र.) 452010

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित नियम 8(5) के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री सूचना। "फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड" (यहां के बाद "एफआईएचएफसीएल" के रूप में संदर्भित) द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में ऋण के एसाइनमेंट के तदनुसार, फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (यहां के बाद "एफआईएचएफसीएल" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ने **18.12.2019** को प्रतिभूतित ऋणदाता को गिरवी / प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति (यहां के बाद प्रतिभूतित परिसंपत्ति के रूप में संदर्भित) का कब्जा ले लिया है। एतद्द्वारा विशेष रूप से ऋणी(ओं) और सह—ऋणी(ओं) और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक ने नीचे वर्णित विवरण अनुसार **श्रीमती हेमलता राय, श्री अरुण कुमार राय, श्रीमती उमा राय व मैसर्स महिमा सादीजी** द्वारा लिए गए ऋण, **ऋण खाता सं. 60170751224194 व 601707210224188** के तहत वसूली तक लागू भावी ब्याज के सहित 27.12.2024 तक बकाया **रु. 36,96,049/— (रुपए छत्तीस लाख छियानवे हजार उनचास केवल)** की वसूली के लिए "जहां है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जहां कहीं भी है" के आधार पर सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत ई—नीलामी के माध्यम से प्रतिभूतित परिसंपत्ति की बिक्री का निर्णय लिया है।

विवरण	विवरण
नीलामी की तिथि	22.01.2025
नीलामी का समय	5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ दोपहर 12.00 से 1.00 बजे के बीच
आरक्षित मूल्य	रु. 9,50,000 / — (रुपए नौ लाख पचास हजार केवल)
जमा धरोहर राशि (ईएमडी)	रु. 95,000 / — (रुपए पिचानवे हजार केवल)
केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	21.01.2025 को शाम 6.00 (भामस) तक
प्रतिभूतित परिसंपत्ति का विवरण	परिवर्तित भूमि सर्वे नं. 1275 के मकान का भाग के सभी भाग एवं शेष मोहल्ला दुर्गापुरा तहसील नागदा जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश — 456335 में स्थित कुल क्षेत्र माप 92.89 वर्ग मीटर सीमाएं निम्नानुसार: पूर्व: रोड, पश्चिम: गली, उत्तर: श्रीमती साजन बाई का मकान, दक्षिण: श्री राजू पुत्र लालराम का प्लॉट
ज्ञात ऋणभार	कोई नहीं

ऋणी का ध्यान प्रतिभूतित परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा 8 के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है। विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण कृपया ध्यान दें कि यदि किसी कारण वश चाहे कुछ भी हो यहां निर्धारित नीलामी के असफल होने पर, प्रतिभूतित परिसंपत्ति निजी समझौते के द्वारा बिक्री के माध्यम से प्रतिभूतित हित पर कब्जा कर सकता है। **बिक्री के तहत परिसंपत्ति के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण / आवश्यकता के मामले में, श्री अमित सोलंकी (मो. नं. +917302111608) व श्री राजेंद्र दहिया (मोबाइल नं. +918448264515) से संपर्क कर सकते हैं। बोलीदाता स्पष्टीकरण के लिए बैंक के आईवीआर नं. (+91—9152219751) से संपर्क कर सकते हैं। बिक्री की विस्तृत नियम व शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.kotak.com और / या http://bankauctions.in में दिए गए लिंक https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html का संदर्भ लें।**

स्थान : उज्जैन, मध्य प्रदेश
दिनांक : 01.01.2025

कोटक महिंद्रा बैंक लि. के लिए
प्राधिकृत अधिकारी

सेवा गृह ऋण लिमिटेड

Sitara A SEWA INITIATIVE

पंजीकृत: प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नं. सी-12, प्लॉट नं. 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092, जीएसटी 07AAQCS0870IZ2
कॉर्पोरेट कार्यालय: बिल्डिंग नं. 8, टॉवर-सी, 8वीं मंजिल, डीएलएफ साइबर सिटी, गुरुग्राम-122002,
ईमेल आईडी: eauction@sgrlimited.in, जीएसटी 06AAQCS0870H1Z4

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत सेवा गृह ऋण लिमिटेड को प्रभारित अचल संपत्ति की निजी संधि के माध्यम से बिक्री

सेवा गृह ऋण लिमिटेड ("एसजीआरएल") के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अचल संपत्ति/सुरक्षित सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि "प्लॉट सर्वे सं. 168/1, अमोना गांव, पी एच नं. 38, (वार्ड नं. 10 सरल नं. 335) तहसील और जिला देवास, मध्य प्रदेश -455001 में स्थित का भौतिक कब्जा ले लिया है और उक्त भूमि क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट का वह भाग और अंश (जिसे आगे "सुरक्षित संपत्ति" कहा जाएगा) के अंतर्गत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के अंतर्गत, **उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं अर्थात** 1) कृष्ण कुंवर सिसोदिया पत्नी गौतम सिंह सिसोदिया, 2) गौतम सिंह सिसोदिया पुत्र भवानी सिंह तथा 3) केसर सिंह पुत्र गौतम सिंह सिसोदिया (जिन्हें सामूहिक रूप से "उधारकर्ता" कहा गया है) तथा 4) ओमप्रकाश कार पेंटर पुत्र मनोहर लाल एसजीआरएल की ओर से गारंटर के रूप में, के द्वारा ऋण सं. HLP100002823 में प्राप्त वित्तीय सुविधा के लिए एसजीआरएल के पक्ष में सुरक्षित था।

नीचे हस्ताक्षरकर्ता सरफासी अधिनियम, 2002 और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत निजी संधि के माध्यम से बिक्री के माध्यम से ऊपर वर्णित सुरक्षित संपत्ति के खिलाफ अपने प्रतिभूति हित को लागू कर रहा है।

प्राधिकृत अधिकारी को उक्त सुरक्षित परिसंपत्ति की खरीद के लिए एक संभावित क्रेता से रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। उक्त उधारकर्ताओं से एसजीआरएल को देय बकाया राशि रु. 4,33,205.69 (रु. चार लाख तैंतीस हजार दो सौ पांच एवं पैसे उनहत्तर) दिनांक 31.08.2022 तक तथा उस पर अतिरिक्त ब्याज इत्यादि की वसूली हेतु "जहां है जैसी है" के आधार पर, "जो है जैसी है जैसी है" और "बिना किसी सहारे के आधार पर" दिनांक **16/01/2025** को सुरक्षित परिसंपत्ति की बिक्री की जाएगी। बिक्री मूल्य रुपये 7,05,000/- (रु. सात लाख पांच हजार मात्र) निर्धारित किया गया है।

उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि सरफासी अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रावधानों के तहत सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है, और एसजीआरएल अब प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (8) के साथ पठित नियम 8 (5) (डी) के प्रावधानों के तहत निर्धारित निजी संधि के माध्यम से उक्त सुरक्षित संपत्ति की बिक्री करके अपने प्रतिभूति हित को लागू करने की प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता का ध्यान उक्त सुरक्षित परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

दिनांक: 31.12.2024
स्थान: गुरुग्राम

हस्त/— प्राधिकृत अधिकारी
कृते सेवा गृह ऋण लिमिटेड

Jay SPEAKS

The Art of War, boardroom edition.

Business Standard
Insight Out

To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email us at order@bsmail.in

bsindia bsindia business-standard.com

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

इंडियन बैंक
आष्टा शाखा, आष्टा

अनुच्छेद - IV { नियम-8 (1) } कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)

यथा: इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की हैसियत से सेक्यूरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनानशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 13 (12) के नियम 3 के साथ प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग करते हुए दिनांक 07.10.2024 को निम्नवर्णित देनदारों तथा जमानतदारों को मांग सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसमें उन्हें नोटिस में अंकित राशि एवं उस पर ब्याज की राशि को नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों/संपत्ति मालिकों एवं जनसामान्य को यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियम 8 के साथ पठित एक्ट के धारा 13 (4) के तहत उन्हें प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक 27.12.2024 को ले लिया है।

उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों/संपत्ति मालिकों को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद् द्वारा निम्नलिखित संपत्तियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्तियों के साथ कोई व्यवहार निम्न खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज के लिए इंडियन बैंक आष्टा शाखा, आष्टा के अधीन होगा। ऋणी एवं जमानतदारों का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को उपलब्ध समय में छुड़ाने (redeem कराने) के संबंध में अधिनियम की धारा (13) एवं उपधारा 8 के प्रावधानों के तहत आकर्षित किया जाता है।

ऋणी /जमानतदार का नाम	चल / अचल संपत्ति का विवरण
ऋणी: 1. **मेसर्स श्री श्याम एग्रो इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रो टूल्स प्राइवेट लिमिटेड** 2. श्री अखिलेश चौहान पुत्र श्री मुकेश चौहान 3. श्री मुकेश चौहान पुत्र श्री राम सिंह 4. श्रीमती बेबी बाई पत्नि श्री मुकेश 5. श्री देवकुमार पुत्र श्री रामचंदर 6 स्व. श्री राम सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह (मृत्यु दिनांक 23.12.2024 जैसा कि कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा सूचित) कानूनी उत्तराधिकारी मुकेश चौहान **बकाया राशि** **₹ 3,19,77,462/-** +ब्याज एवं अन्य खर्च	1.संपत्ति का समस्त भू भाग भूमि और भवन प्लॉट नंबर 1 ए (व्यावसायिक क्षेत्र) खसरा नंबर 9/3/1-19/1 का भाग, क्षेत्रफल 1980 वर्गफीट, पटवारी हल्का चर्चसी, ग्राम बहादुरपारा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) संपत्ति मालिक- मुकेश चौहान चर्तुसीमाएं: पूर्व- राजाराम की जमीन, पश्चिम- श्रीमती बेबी बाई की जमीन 01, उत्तर- इंदौर भोपाल मेन रोड, दक्षिण- जुनेद खान की जमीन 2. संपत्ति का समस्त भू भाग भूमि और भवन प्लॉट नंबर 1 ए (व्यावसायिक क्षेत्र) पर भूमि और भवन, खसरा संख्या 9/3/1-19/1 का भाग, क्षेत्रफल 1320 वर्गफीट, पटवारी हल्का चर्चसी, ग्राम बहादुरपारा, तहसील आष्टा जिला सीहोर (म.प्र.) संपत्ति मालिक- श्रीमती बेबी बाई चर्तुसीमाएं: पूर्व- मुकेश की जमीन (1ए), पश्चिम- जीवन मेवाड़ा की जमीन नंबर 2, उत्तर- इंदौर भोपाल मेन रोड, दक्षिण- जुनेद खान की जमीन 3. संपत्ति का समस्त भू भाग प्लाट नं. 417 पर निर्मित रिहायशी ट्रिपलेक्स मकान, खसरा संख्या 121/9 का भाग, क्षेत्रफल-1000 वर्गफीट, मयूर कॉलोनी, मोहल्ला अलीपुर, वार्ड क्रमांक 2, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, म.प्र. संपत्ति मालिक- देवकुमार पुत्र श्री रामचंद्र चर्तुसीमाएं: पूर्व- कच्चा आम रास्ता, पश्चिम- विक्रेता की जमीन, उत्तर- विक्रेता की जमीन, दक्षिण- विक्रेता की जमीन 4. संपत्ति का समस्त भू भाग प्लाट नं. 331 पर निर्मित रिहायशी ट्रिपलेक्स मकान, खसरा नंबर 121/1 का भाग, क्षेत्रफल 750 वर्गफीट, मयूर कॉलोनी, मोहल्ला अलीपुर, वार्ड क्रमांक 2, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश संपत्ति मालिक- रामसिंह पुत्र श्री गणपत सिंह चर्तुसीमाएं: पूर्व- 15 फीट रोड, पश्चिम- विक्रेता का प्लॉट, उत्तर- विक्रेता का प्लॉट, दक्षिण- विक्रेता का प्लॉट 5. संपत्ति का समस्त भू भाग कमर्शियल डायवर्टेड प्लॉट, सर्वे नंबर 18/4, क्षेत्रफल 800 वर्गफीट, वार्ड नंबर 2 का भाग, अलीपुर, आष्टा, जिला सीहोर, म.प्र. चर्तुसीमाएं: पूर्व- 17 फीट कॉलोनी रोड, पश्चिम- मरगूब आलम की जमीन, उत्तर- विक्रेता की जमीन, दक्षिण- मरगूब आलम की जमीन

स्थान : आष्टा, दिनांक : 27/12/2024

प्राधिकृत अधिकारी, (इंडियन बैंक)

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

शुभम्

कार्पोरेट कार्यालय – 425, उद्योग विहार फेस– IV, गुड़गांव –122015 (हरियाणा)
फोन– 0124–4212530/31/32, ईमेल:– customercare@shubham.co, वेबसाईट – www.shubham.co

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)

जहां कहीं शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड (यहां आगे शुभम कहा जायेगा) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनेंसियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट, 2002 एवं के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंट्रस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित ऋणकर्ताओं को ऋण राशि को उपरोक्त सूचना की प्राप्ति के दिनांक से 60 दिवस के अंदर पुर्नभुगतान हेतु नोटिस जारी किया था। ऋणकर्ता राशि का पुर्नभुगतान करने में असफल रहे हैं ऋणकर्ताओं को एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप से इस एतद सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त कानून के नियम 8 के साथ उपरोक्त कानून की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वर्णित संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार ना करें एवं इन संपत्तियों के साथ व्यवहार शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड के साथ नीचे दर्शाई राशि एवं उस पर ब्याज के विषयानुसार होगा।

ऋणकर्ता के ध्यानार्थ, धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध समयसीमा में सुरक्षित संपत्ति वापस प्राप्त करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। विवरण नीचे दिया गया है:—

स. क्र.	ऋण खाता क्र., ऋणकर्ता (ओं) का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	सुरक्षित संपत्ति	कब्जा की दिनांक
1	लोन नं. 0BHP2303000005060192 सुनील कुमार मीणा श्यामा मीणा	23-09-2024 & ₹ 9,69,940/-	फ्लेट नंबर -एलआईजी -9/16 स्थित संपत्ति, ब्लॉक नंबर एल-9 स्कीम पतंजलि परिसर, अब्बास नगर, गोंदरमऊ भोपाल, मध्य प्रदेश -462036	28-12-2024
2	लोन नं. 0CMP2301000005056811 एवं 0CMP2301000005056920, रजनीश लखेरे, ज्योति लखेरे	22-10-2024 & ₹ 10,88,989/- & ₹ 8,03,658/-	खसरा नं. 1870/2/4, प.ह.नं. 51, वार्ड नं. 09, विवेकानंद वार्ड, मौजा छतरपुर तहसील एवं जिला छतरपुर (म.प्र.)-471001 स्थित संपत्ति	28-12-2024
3	लोन नं. 0CMP2302000005058392 एवं 0CMP2405000005084800, मोहम्मद नफीस, फेमिदा बानो	22-10-2024 & ₹ 21,35,945/- & ₹ 8,46,449/-	मकान नंबर 51, वार्ड नंबर 25 मौर्य रोड, तहसील और जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश -471001 में स्थित संपत्ति	28-12-2024
4	लोन नं. BHP_1212_003795, महेश बंसीवाल, सिमा बंसीवाल	22-10-2024 & ₹ 7,44,220/-	प्लॉट नं. 16 भूमि खसरा नं. 257/2/1 ग्राम -एआरवी पटवारी हल्का नं. 06 तेहसील- हुजूर जिला भोपाल मध्य प्रदेश 462010	28-12-2024

स्थान : गुड़गांव
दिनांक : 31-12-2024

प्राधिकृत अधिकारी
शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

---

agriwise एग्रीवाइज फिनसर्व लिमिटेड

(पूर्ववर्ती स्टार एग्री फाइनेंस लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 802, 08वीं मंजिल सुमेर प्लाजा, मरोल मरोशी मार्ग, मरोल नाका, अंधेरी ईस्ट मुंबई 400059 महाराष्ट्र
सीआईएन: U65999MH1995PLC267097, वेब: www.agriwise.com ईमेल: info@agriwise.com, फोन: +91-022-40467777, फैक्स +91-22-40467788

नीलामी/बिक्री नोटिस परिशिष्ट-IV-क (नियम 8(6) का परंतुक देखें)
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए नीलामी नोटिस
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9 के अंतर्गत एग्रीवाइज फिनसर्व लिमिटेड जिसे पहले स्टार एग्री फाइनेंस लिमिटेड (जिसे आगे "प्रतिभूति ऋणदाता" कहा जाएगा) के पास बंधक रखी गई अचल संपत्तियों की नीलामी बिक्री के लिए नोटिस दिया जाता है। जबकि नीचे उल्लिखित उधारकर्ता सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत इसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर सुरक्षित ऋणदाता को ऋण राशि चुकाने के लिए कहा गया था।

जबकि सुरक्षित लेनदार ने इसके प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से निहित शक्तियों के अनुसार सरफासी अधिनियम 2022 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत और इसके तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में नीचे उल्लिखित बंधक संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है।

जबकि इसके बाद भी उधारकर्ता सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त ऋण राशि चुकाने में विफल रहा है और अनुसूचित संपत्ति/यों को "क्या है, कहां है और जो कुछ भी है" के आधार पर इच्छुक खरीदारों से नीचे उल्लिखित संपत्ति/यों के लिए एक सीलबंद लिफाके में बोली सह नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर बेचने का फैसला किया है।

क्र. उधारकर्ता और गारंटर का नाम और पताः

1 बॉम्बे टॉप की दुनिया, सौरभ जैन पुत्र प्रेमचंद जैन, श्री प्रदीप जैन पुत्र श्री प्रेम चंद जैन, सर्वे नं. 6/2-के मिन-34, पी. एच. नं.59, वार्ड नं. 23, यूनिट नं. 23/13, ग्राम जगपुर, तहसिलंद जिला गुना, म.प्र. 473001 औरः वीरेंद्र नगर कॉलोनी, गुना तहसील एवं जिला गुना (म.प्र.) - 473001

मांग सूचना की तिथि : 02.07.2024 | **सांकेतिक कब्जे के सूचना की तिथि : 04.09.2024**

सुरक्षित ऋण राशि रु. 21,61,137/- (रुपये इक्कीस लाख इकसठ हजार एक सौ सैंतीस मात्र) दिनांक 31-12-2024 तक, साथ ही लागू ब्याज और पूर्ण भुगतान तक अन्य शुल्क तथा ब्याज एवं अन्य संविदागत देय बकाया

सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि ग्राम जगनपुर पी.एच. नं.59, तहसील और जिला गुना नगर पालिका गुना वार्ड नं. 23, यूनिट नं. 23/13, जगनपुर, सर्वे नं. 6/2-के मिन 34, प्लॉट आकार (15*50)=750 वर्ग मी., वर्तमान और भविष्य के शेड, संरचनाओं के साथ, उस पर भवन और चौहद्दीः उत्तर में - स्वयं विक्रेता का प्लॉट, दक्षिण में - स्वयं विक्रेता का प्लॉट, पूरब में - स्वयं विक्रेता का प्लॉट, पश्चिम में - प्रस्तावित सड़क	रु. 17,80,000/-	रु. 1,78,000/-

(क) जमा करने की अंतिम तिथिः 04-02-2025
(ख) बोलियां/नीलामी खोलने का समय और स्थानः 05-02-2025 प्रातः 11:00 बजे, पहली मंजिल मल्होत्रा कॉम्प्लेक्स, कृष्णा गार्डन के पास, अशोक पार्क व्यू ए.बी रोड, गुना, पिन-473001

क्र. उधारकर्ता और गारंटर का नाम और पताः

2 **श्री बालाजी ज्वेलर्स, राजेश सोनी पुत्र रामभरोसा सोनी, दिलीप सोनी पुत्र रामभरोसा सोनी, पिंकी सोनी पत्नी राजेश सोनी**, विष्णु ज्वेलर्स दाल मिल के पास, सुभाष चौक कुंभराज, गुना, मध्य प्रदेश 473222 औरः वार्ड नं. 6, सरस्वती स्कूल कुंभराज, गुना, मध्य प्रदेश-473222

मांग सूचना की तिथि : 20.08.2024 | **सांकेतिक कब्जे के सूचना की तिथि : 24.10.2024**

सुरक्षित ऋण राशि रु. 51,18,569/- (रुपये इक्यावन लाख अठारह हजार पांच सौ उनहत्तर मात्र) दिनांक 31-12-2024 तक, साथ ही लागू ब्याज और पूर्ण भुगतान तक अन्य शुल्क तथा ब्याज एवं अन्य संविदागत देय बकाया

सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि नगर पंचायत कुंभराज, पंचायती मंदिर वार्ड नं. 14, सदर बाजार कुंभराज, तहसील कुंभराज और जिला गुना (म.प्र.), नगर परिषद कुंभराज ग्राहक रजिस्टर नं. 37 पृष्ठ क्रमांक 79 और क्रमांक 28 और पृष्ठ क्रमांक 77 पंजीकृत नाम। दुकान नं. 115 क्षेत्रफल 110 वर्गफुट (10.22 वर्गमीटर) दुकान नं. 116 क्षेत्रफल 111 वर्गफुट (10.31 वर्गमीटर) और दुकान नं. 117 क्षेत्रफल 141 वर्गफुट (13.10 वर्गमीटर)। कुल तीन दुकानों का क्षेत्रफल 362 वर्गफुट (33.64 वर्गमीटर)। उत्तर में - 6' चौड़ा रास्ता, दक्षिण में - दुकान नं. 114, पूरब में - 6' चौड़ा रास्ता, पश्चिम में - दुकान नं. 116	रु. 13,03,200/-	रु. 1,30,320-

(क) जमा करने की अंतिम तिथिः 16-01-2025
(ख) बोलियां/नीलामी खोलने का समय और स्थानः 17-01-2025 प्रातः 11:00 बजे, पहली मंजिल मल्होत्रा कॉम्प्लेक्स, कृष्णा गार्डन के पास, अशोक पार्क व्यू ए.बी रोड, गुना, पिन-473001

किसी अन्य जानकारी के लिए, श्री अनिल सिंह परिहार, +91 9827797626 पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2), 8(6) और 9(1) के तहत वैधानिक 15/30 दिन का नोटिस

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को नीलामी से पहले ऊपर बताई गई राशि, वर्तमान ब्याज और सहायक व्यय के साथ भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर ऊपर बताई गई गिरवी रखी गई संपत्ति की नीलामी की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज/लागत सहित वसूल की जाएगी।

दिनांक 01.01.2025
स्थानः मध्य प्रदेश

प्राधिकृत अधिकारी
कृते एग्रीवाइज फिनसर्व लिमिटेड
(पूर्ववर्ती स्टारएग्री फाइनेंस लिमिटेड)

नोटः यदि सरफासी मांग नोटिस जारी होने के बाद कोई राशि भुगतान की जाती है, तो उसे वसूली/निपटान के समय देय बकाया राशि का पता लगाने के लिए गणना किया जाएगा।

ROHA HOUSING FINANCE रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड

GROW WITH YOUR OWN HOME

कॉर्पोरेट ऑफिस : युनिट नं. 1117 एवं 1118, 11वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201 301.

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act) 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस

निम्न उधारकर्ताओं को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि **रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड (RHFPL)** से ऋण प्राप्त किया है लेकिन उनके द्वारा ऋण की ईएमआई (EMIs) का नियमित भुगतान नहीं किया गया है। और इस कारण नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत उनका ऋणखाता एनपीए (नॉन परफार्मिंग एसेट) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन उधारकर्ताओं ने RHFPL के पास सिक्युरिटी के रूप में अचल संपत्ति रखी है। जिनका ब्यौरा और आज तारिख तक उधारकर्ता द्वारा RHFPL को चुकायी जाने वाली ऋण एवं बकाया राशि का ब्यौरा भी नीचें दर्शाया गया है। उधारकर्ताओं और सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि RHFPL के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जमानती लेनदार ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act) 2002 के तहत निम्न उधारकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की है। यदि निम्न उधारकर्ता उनके नामों के सामने दर्शाए गए बकाया देयों को भुगतान इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर नहीं करते है। तो जमानती लेनदार को सरफेसी (SARFAESI Act) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा(4) के अंतर्गत प्रदत्त एक या उससे अधिक अधिकारो का प्रयोग करते हुए इस संपत्ति को कब्जा/अधिकार में लेने और इसे बेचने की कार्यवाही करेंगे। सामान्य जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचें वर्णीत संपत्ति/संपत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का लेनदेन न करें।

क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों) के नाम लोन खाता नं./ शाखा	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	सुरक्षित आस्ति(यों) का विवरण (अचल संपत्ति/यां)
1	लोन नं. : HLMDSRSCRE000005008123 / **शाखा** : मंदसौर 1. **अनिल पिता बालमुकंद** (कर्जदार) **पता 1** : मकान नंबर 62, ग्राम निपानिया मेघराज मंदसौर, मध्य प्रदेश–458667. **पता 2** : माता जी मंदिर के निकट, निपानिया मेघराज, सरकारी स्कूल के निकट, मंदसौर, मध्य प्रदेश–458667. 2. **श्यामबाई पति अनिल कुमार** (सह–कर्जदार) **पता** : वार्ड नंबर 10, ग्राम निपानिया मेघराज फतेहगढ़ मंदसौर, मध्य प्रदेश–458667. दोनों का पता : सम्पत्ति मकान नंबर 62, स्थित : आबादी सर्वे नंबर 96, वार्ड नंबर 10, ग्राम निपानिया पी.एच. नंबर 31 तहसील एवं जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश–458667.	16-12-2024 & ₹ 6,94,599/-	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति पता** : सम्पत्ति मकान नंबर 62, स्थित : आबादी सर्वे नंबर 96, वार्ड नंबर 10, ग्राम निपानिया पी.एच. नंबर 31 तहसील एवं जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश–458667.
2	लोन नं. : HLKHWASCRE000005009246 / **शाखा** : खंडवा 1. **रमेश सिंह चौहान** (कर्जदार) **पता** : श्री कृष्ण किराना शॉप, मकान नंबर 157/1, वार्ड नंबर 10, खंडवा, मध्य प्रदेश–450001. 2. **रेखा सिंह चौहान एवं 3. राहुल सिंह चौहान** (सह–कर्जदार) **दोनों का पता** : मकान नंबर 157/1, वार्ड नंबर 10, खंडवा, मध्य प्रदेश–450001. **दोनों का अन्य पता** : पीएच. नंबर 47, ग्राम देवाल्दी, आबादी खसरा नंबर 349, वार्ड नंबर 10, मकान नंबर 157, खंडवा, मध्य प्रदेश–450001.	16-12-2024 & ₹ 4,16,315/-	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति पता** : पीएच. नंबर 47, ग्राम देवाल्दी, आबादी खसरा नंबर 349, वार्ड नंबर 10, मकान नंबर 157, खंडवा, मध्य प्रदेश–450001.
3	लोन नं. : LAUJNCLARD000005013004 / **शाखा** : उज्जैन 1. **कुलदीप सिंह डोडिया** (कर्जदार) 2. **जालम सिंह** पिता फते सिंह, 3. **फते सिंह राजपूत एवं** 4. **हेमलता कुंवर** (सह–कर्जदार) **सभी का पता** : ग्राम खरवा कला, तहसील ताल, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश–457114 **सभी का अन्य पता** : प्लॉट नंबर 239/1, पीएच नंबर 36, ग्राम खरवा कलां, तहसील ताल, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश–457114	16-12-2024 & ₹ 7,26,803/-	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति पता** : प्लॉट नंबर 239/1, पीएच नंबर 36, ग्राम खरवा कलां, तहसील ताल, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश–457114
4	लोन नं. : HLUJNCMBPR000005013209 / **शाखा** : उज्जैन 1. **मुकेश पिता कालूराम** (कर्जदार) 2. **माया पति मुकेश एवं 3. कालू पिता देवा जी** (सह–कर्जदार) **सभी का पता** : ग्राम कुमारदी, बिछाडोद, तराना, मध्य प्रदेश–456665 **सभी का अन्य पता** : प्लॉट नंबर 44, भूमि एस नंबर 29, पीएच नंबर 60, स्थित : ग्राम कुमारवाडी, तहसील पट्टिया, उज्जैन, मध्य प्रदेश–456665	16-12-2024 & ₹ 4,27,491/-	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति पता** : प्लॉट नंबर 44, भूमि एस नंबर 29, पीएच नंबर 60, स्थित : ग्राम कुमारवाडी, तहसील पट्टिया, उज्जैन, मध्य प्रदेश–456665
5	लोन नं. : HLUJNCHLRS000005013826 / **शाखा** : उज्जैन 1. **राजाराम पिता गंगाराम** (कर्जदार) 2. **उमराव बाई पति राजाराम** (सह–कर्जदार) **दोनों का पता** : ग्राम सिद्धिपुर निपानिया करंज, तराना, मध्य प्रदेश–456665 **दोनों का अन्य पता** : प्लॉट नंबर 28, पीएच नंबर 20, ग्राम सिद्धिपुर निपानिया करंज, तराना, मध्य प्रदेश–456665	16-12-2024 & ₹ 4,02,352/-	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति पता** : प्लॉट नंबर 28, पीएच नंबर 20, ग्राम सिद्धिपुर निपानिया करंज, तराना, मध्य प्रदेश–456665
6	लोन नं. : LAUJNCLARD000005014833 / **शाखा** : उज्जैन 1. **अर्जुन दांगी** (कर्जदार) 2. **सोनिया दांगी** (सह–कर्जदार) **दोनों का पता** : 39 ग्राम कोठादी खरवा, तहसील ताल, उज्जैन, मध्य प्रदेश–456001 **दोनों का अन्य पता** : पीएच नंबर 37, मकान नंबर 31, ग्राम कोठादी खरवा, तहसील ताल, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश–457114	16-12-2024 & ₹ 6,66,844/-	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति पता** : पीएच नंबर 37, मकान नंबर 31, ग्राम कोठादी खरवा, तहसील ताल, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश–457114
7	लोन नं. : HLREWAPPSC000005013110 / **शाखा** : रीवा 1. **लव कुश दीक्षित** (कर्जदार) **पता 1** : ग्राम नाचौदिया, परिहार टेंट हाउस के सामने, तहसील गोपद बनास, सीधी, मध्य प्रदेश–486111 **पता 2** : एसजीएस कालेज के निकट, सीधी, मध्य प्रदेश–486111 2. **गायत्री दीक्षित** (सह–कर्जदार) **पता** : एमक्यू–290 गोपद बनास, सेक्टर–2, वार्ड नंबर 14, सीधी, मध्य प्रदेश–486111 3. **व्यासमुनि पिता राजीव लोचन** (सह–कर्जदार) **पता** : ग्राम देवगढ़, पोस्ट करौंदिया, सीधी, मध्य प्रदेश–486111 **सभी का पता** : खसरा नंबर 323/2/1/1, वार्ड नंबर 20, पटवारी हलका डायनिहा, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी, मध्य प्रदेश–486111	16-12-2024 & ₹ 4,67,257/-	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति पता** : खसरा नंबर 323/2/1/1, वार्ड नंबर 20, पटवारी हलका डायनिहा, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी, मध्य प्रदेश–486111
8	लोन नं. : HLGANJHLRI000005014556 / **शाखा** : गंजबासोदा 1. **नरेन्द्र ठाकुर** (कर्जदार) **पता** : नन्हे किराना ऐंड आटा चक्की, खुराई रोड बीना, सागर, मध्य प्रदेश–470113 2. **रिंकी देवी एवं 3. काशी बाई पति मलखान सिंह ठाकुर** (सह–कर्जदार) **सभी का पता** : ग्राम हिरन छीपा, खुराई रोड बीना, सागर, मध्य प्रदेश–470113 **सभी का अन्य पता** : पीएच नंबर 52, खसरा नंबर 101, **प्लॉट नंबर 05, स्थित** : हिरनछीपा, तहसील– बीना, सागर, मध्य प्रदेश–470113	16-12-2024 & ₹ 10,36,392/-	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति पता** : पीएच नंबर 52, खसरा नंबर 101, प्लॉट नंबर 05, स्थित : हिरनछीपा, तहसील– बीना, सागर, मध्य प्रदेश–470113
9	लोन नं. : LAGANJLPCM000005014136 / **शाखा** : गंजबासोदा 1. **रोहित दीक्षित** (कर्जदार) 2. **मोहित दीक्षित** (सह–कर्जदार) **पता** : ग्राम ताजपुरा सागर बरया, खिमलाशा, सागर, मध्य प्रदेश–470117 3. **प्रियंका दीक्षित** (सह–कर्जदार) **क्र. सं. 1, 3 का पता** : माल्थोन रोड, खिमलाशा, शनि मंदिर के सामने, सागर, मध्य प्रदेश–470113 **सभी का पता** : सर्वे नंबर 665/1, जो वार्ड नंबर 16 में माल्थोन रोड के निकट स्थित है, ग्राम खिमलासा, पटवारी हलका नंबर 6, बस्ती नंबर 56, आर.एन.एम. एवं ब्लॉक एवं तहसील खुराई, जिला सागर, मध्य प्रदेश–470117	16-12-2024 & ₹ 15,58,743/-	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति पता** : सर्वे नंबर 665/1, जो वार्ड नंबर 16 में माल्थोन रोड के निकट स्थित है, ग्राम खिमलासा, पटवारी हलका नंबर 6, बस्ती नंबर 56, आर.एन.एम. एवं ब्लॉक एवं तहसील खुराई, जिला सागर, मध्य प्रदेश–470117
10	लोन नं. : LAINDRLPRS000005000348 / **शाखा** : इन्दौर क्लस्टर 1. **राजेश अग्रवाल** (कर्जदार) **पता** : नवादा पंथ धार, एमपीईबी के सामने, इन्दौर, मध्य प्रदेश–452002 2. **अनामिका अग्रवाल** (सह–कर्जदार) **दोनों का पता** : 4बी, सुदामा नगर, सुदामा नगर, इन्दौर, मध्य प्रदेश–452001 **दोनों का अन्य पता** : प्रकोष्ठ सं. 202, द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 172, महेशइंदु कृपा, सुदामा नगर, इन्दौर, मध्य प्रदेश–452001	16-12-2024 & ₹ 13,35,976/-	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति पता** : प्रकोष्ठ सं. 202, द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 172, महेशइंदु कृपा, सुदामा नगर, इन्दौर, मध्य प्रदेश–452001
11	लोन नं. : LASEHRLPCM000005005549 / **शाखा** : सीहोर 1. **अफजल पठान** (कर्जदार) **पता** : शेरू साइकिल स्टोर, शुजालपुर रोड, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश–465667 2. **रेशमा पति अफजल पठान, 3. रफीका बी पति मुंशी बेग एवं** 4. **शेरू खान पिता मुस्तकिन खान** (सह–कर्जदार) **सभी का पता** : वार्ड नंबर 12, कुंजा गली के पास, शुजालपुर रोड, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश–465667 **सभी का अन्य पता** : भवन सं. 86, वार्ड नंबर 12, कुंजा गली के पास, बोडा नाका, शुजालपुर रोड, कस्बा पचोर तहसील पचोर एवं जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश	16-12-2024 & ₹ 4,58,333/-	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति पता** : भवन सं. 86, वार्ड नंबर 12, कुंजा गली के पास, बोडा नाका, शुजालपुर रोड, कस्बा पचोर, तहसील पचोर एवं जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश
12	लोन नं. : HLSEHRHLRS000005007147 / **शाखा** : सीहोर 1. **अरुण कुमार पिता शंकर लाल** (कर्जदार) **पता** : अरुण दूध डेरी, सीहोर, मध्य प्रदेश–465337 2. **कला बाई पति अरुण परमार** (सह–कर्जदार) **दोनों का पता** : एच. नंबर 40, ग्राम पोस्ट फराद, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश–465337 **दोनों का अन्य पता** : मकान नंबर 829, आबादी खसरा नंबर 429/1, पटवारी हलका नंबर 35, ग्राम फराद, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश–465337	16-12-2024 & ₹ 6,26,100/-	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति पता** : मकान नंबर 829, आबादी खसरा नंबर 429/1, पटवारी हलका नंबर 35, ग्राम फराद, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश–465337
13	लोन नं. : HLSONKSCRE000005010802 / **शाखा** : सोनकच 1. **कुलदीप पिता मान सिंह** (कर्जदार) 2. **अरविंद सिंह एवं 3. हेमा बाई पति अरविंद सिंह** (सह–कर्जदार) **दोनों का पता** : 17, ग्राम निजामदी तहसील जावर निजामदी, भोपाल, मध्य प्रदेश–466116 **दोनों का अन्य पता** : पीएच नंबर 24, सर्वे नंबर 154/60 एवं 155/60, ग्राम निजामदी तहसील जावर, जिला सीहोर, भोपाल, मध्य प्रदेश–466221	16-12-2024 & ₹ 9,28,260/-	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति पता** : पीएच नंबर 24, सर्वे नंबर 154/60 एवं 155/60, ग्राम निजामदी तहसील जावर, जिला सीहोर, भोपाल, मध्य प्रदेश–466221

स्थान : मध्यप्रदेश
दिनांक : 01-01-2025

प्राधिकृत अधिकारी
तर्फे – रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड